भवानी प्रसाद सोनकर

बनाम

भारत संघ और अन्य

(2005 की सिविल अपील संख्या 5101)

11 मार्च 2011

(डी.के. जैन और एच.एल. दत्तू, जे.जे.)

सेवा कानून:-

अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करना - उद्देश्य का अवधारण - अनुकंपा रोजगार पूरी तरह से मानवीय आधार पर दिया जाता है और इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है - आमतौर पर सार्वजनिक रोजगार सख्ती से आवेदनों के खुले निमंत्रण और तुलनात्मक योग्यता के आधार पर होना चाहिए अनुकंपा नियुक्ति इस सामान्य नियम का अपवाद है, जिसे न्याय के हित में, कुछ अत्यावश्यकताओं में, एक नियोक्ता की नीति के माध्यम से बनाया गया है, जो सेवा नियमों के चरित्र का हिस्सा है - योजना को सख्ती से समझा जाना चाहिए और केवल उस उद्देश्य तक ही सीमित होना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है।

अनुकंपा नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों के लिए दावा किया गया:- अनुकंपा रोजगार के लिए अनुरोध को शासी योजना के अनुसार सख्ती से माना जाना चाहिए अनुकंपा रोजगार के लिए आवेदन को अनुचित देरी के बिना प्राथमिकता दी जानी चाहिए और समय की उचित अवधि के भीतर विचार किया जाना चाहिए अनुकंपा आधार पर नियुक्ति सेवा के दौरान कमाने वाले की मृत्यु या चिकित्सा अमान्य होने के कारण परिवार में होने वाले अचानक संकट को पूरा करने के लिए - यह केवल मृतक/अक्षम कर्मचारी के आश्रितों में से एक को ही स्वीकार्य है, अर्थात माता-पिता, पति/पत्नी, पुत्र या पुत्री और सभी रिश्तेदारों को नहीं, और ऐसी नियुक्तियाँ केवल निम्नतम श्रेणी अर्थात् तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होनी चाहिए - तथ्यों पर, अपीलकर्ता के पिता को वि-वर्गीकृत कर्मचारी घोषित किया गया था, वैकल्पिक रोजगार की पेशकश नहीं की गई थी और उन्हें स्थायी समिति की सिफारिश पर 30.08.1999 को सेवाओं से सेवानिवृत्त कर दिया गया - परिपत्र दिनांक 22.09.1995 के संदर्भ में जो उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए अनुकंपा रोजगार पर विचार करता है जिन्हें चिकित्सकीय रूप से वि-वर्गीकृत किया गया है, और बिना किसी वैकल्पिक उपर्युक्त नौकरी पेशकश के सेवानिवृत्त हो गए हैं, अपीलकर्ता अनुकंपा के आधार पर रोजगार का हकदार होगा।

अपीलकर्ता के पिता-रेलवे में गार्ड मेल/एक्सप्रेस को एक वि-वर्गीकृत कर्मचारी घोषित किया गया था और स्थायी समिति की सिफारिश पर 30 अगस्त, 1999 के आदेश द्वारा सेवा नियमों में निर्धारित किसी भी वैकल्पिक रोजगार की पेशकश किए बिना सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। अपीलकर्ता के पिता ने अपने बेटे के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते हुए रेलवे अधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता ने न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया। जिसे भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि कर्मचारी ने रेलवे बोर्ड के परिपत्र दिनांक 29 नवंबर, 2001 में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं किया इसलिए, अपीलकर्ता ने तत्काल अपील दायर की।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1.1. अनुकंपा रोजगार पूरी तरह से मानवीय आधार पर दी जाती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य कर्मचारी के परिवार को अचानक वित्तीय संकट से निपटने के लिए तत्काल राहत प्रदान करना है और इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। केवल वंश के आधार पर नियुक्ति संवैधानिक योजना के लिए हानिकारक है, और आमतौर पर सार्वजनिक

रोजगार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप, आवेदनों के खुले निमंत्रण और तुलनात्मक योग्यता के आधार पर होना चाहिए। नियुक्ति का कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं है। फिर भी, अनुकंपा नियुक्ति की अवधारणा को सामान्य नियम के अपवाद के रूप में मान्यता दी गई है, जो नियोक्ता की नीति के माध्यम से, कुछ अत्यावश्यकताओं में, न्याय के हित में तैयार किया गया है, जो सेवा नियमों के चरित्र का हिस्सा है। ऐसा होने पर, इस बात पर थोड़ा जोर देने की आवश्यकता है कि योजना या नीति, जैसे जो भी मामला हो, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों पर बाध्यकारी है। एक अपवाद होने के नाते, योजना को सख्ती से समझा जाना चाहिए और केवल उस उद्देश्य तक ही सीमित होना चाहिए। जिसे वह प्राप्त करना चाहती है। (पैरा 15) (640 बी-ई)

उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य। (1994) 4 एससीसी 138; स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम मधुसूदन दास और अन्य। (2008) 15 एससीसी 560, वी. शिवमूर्ति बनाम आंध्र राज्य और अन्य। (2008) 13 एससीसी 730 - संदर्भित।

1.2 अनुकंपा के आधार पर रोजगार के दावे पर विचार करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना होगा:-

(1) सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों या विनियमों के अभाव में अनुकंपा रोजगार नहीं दिया जा सकता है। अनुरोध पर शासी योजना के अनुसार सख्ती से विचार किया जाना चाहिए, और योजना से बाहर अनुकंपा नियुक्ति करने के लिए किसी भी प्राधिकारी के पास कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ा गया है।

(2) अनुकंपा रोजगार के लिए आवेदन को बिना किसी देरी के प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उचित समय के भीतर विचार किया जाना चाहिए।

(3) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सेवा के दौरान कमाने वाले की मृत्यु या चिकित्सीय रूप से अक्षम होने के कारण परिवार में होने वाले अचानक संकट को पूरा करने के लिए है। इसलिए, मृत/अक्षम कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता के समय उसके परिवार की वित्तीय स्थिति को नजर अंदाज उदारता के आधार पर अनुकंपा रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता है।

(4) अनुकंपा रोजगार केवल मृतक/अक्षम कर्मचारी के आश्रितों में से एक को ही स्वीकार्य है, अर्थात। माता-पिता, पति/पत्नी, पुत्र या पुत्री और सभी रिश्तेदारों को नहीं, और ऐसी नियुक्तियाँ केवल

सबसे निचली श्रेणी यानी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होनी चाहिए।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले उपरोक्त व्यापक दिशानिर्देशों की कसौटी पर परखे गए, अपीलकर्ता ने ऐसी नियुक्ति के लिए एक उचित मामला बनाया है। (पैरा 19 और 20) (642 जी-एस, 643 ए-एफ)

2.1 यह स्पष्ट है कि 29 नवंबर, 2001 के परिपत्र के अनुसार केवल वे कर्मचारी, जो 29 अप्रैल, 1999 के बाद किसी भी सेवा को करने में पूरी तरह से अक्षम हो गए हैं, अपने बच्चों के लिए अनुकंपा रोजगार पाने के हकदार थे। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता के पिता 30 अगस्त, 1999 को यानी 29 अप्रैल, 1999 के बाद सेवानिवृत्त हुए, लेकिन 29 अप्रैल, 1999 के परिपत्र के अनुसार उन्हें वैकल्पिक रोजगार की पेशकश नहीं की गई। (पैरा 20, 643-एफ-एच)

2.2 दिनांक 29 नवंबर, 2001 का परिपत्र/पत्र, जिस पर अपीलकर्ता के दावे को खारिज करते समय भरोसा किया गया था, को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। जाहिर है, यह अनुकंपा रोजगार के लाभ को केवल उन अक्षम कर्मचारियों तक सीमित करने का प्रयास करता है जो 29 अप्रैल, 1999 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, उन कर्मचारियों के मामले में

था। जो सेवाओं के प्रदर्शन के लिए निचली श्रेणी में उपयुक्त पाए गए थे। एक निचली श्रेणी, परिपत्र/पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 1999 लागू होगा, और रेलवे ऐसे कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार की पेशकश करने के लिए बाध्य था। इससे पता चलता है कि 29 अप्रैल 1999 के बाद जिन कर्मचारियों ने वैकल्पिक रोजगार स्वीकार नहीं किया और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना, उन्हें उनके बच्चों के लिए अनुकंपा रोजगार का लाभ नहीं दिया जा सका। (पैरा 21, 644-ए-सी)

2.3 वर्तमान मामले में, उत्तरदाताओं ने यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी है कि अपीलकर्ता के पिता जो 30 अगस्त, 1999 को यानी 29 अप्रैल, 1999 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें 29 अप्रैल, 1999 के परिपत्र के अनुसार किसी भी वैकल्पिक रोजगार की पेशकश की गई थी। इसके विपरीत, ऐसा प्रतीत होता है कि स्थायी समिति ने उनकी सेवानिवृत्ति की सिफारिश की। अपीलकर्ता के पिता को 29 अप्रैल 1999 के परिपत्र का लाभ देने से इनकार करने के बाद, उत्तरदाता यह दावा नहीं कर सकते कि 29 नवंबर, 2001 का परिपत्र अपीलकर्ता के पिता पर लागू था, जो उन्हें रोजगार मांगने से वंचित करता है। उनके बेटे के लिए अनुकंपा का आधार था क्योंकि वह पूरी तरह से अक्षम नहीं था और उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी। 30 अगस्त, 1999 के सेवानिवृत्ति आदेश से

यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के पिता को स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। (पैरा 22, 644-डी-एफ)

2.4 इस तथ्य के प्रकाश में कि 29 नवंबर, 2001 का परिपत्र अपीलकर्ता के पिता के मामले में लागू नहीं था, क्योंकि 29 अप्रैल, 1999 के परिपत्र का लाभ उन्हें नहीं दिया गया था, और उन्हें सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था, 22 सितंबर, 1995 का पिछला परिपत्र वर्तमान मामले में लागू है। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता अनुकंपा आधार पर रोजगार का हकदार होगा क्योंकि उक्त परिपत्र उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए अनुकंपा रोजगार पर विचार करता है, जिन्हें चिकित्सकीय रूप से अवर्गीकृत किया गया है, और वैकल्पिक उपयुक्त नौकरी की पेशकश किए बिना सेवानिवृत्त हो गए। उत्तरदाताओं की यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती कि श्रेणी से बाहर किए जाने पर अपीलकर्ता के पिता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था। आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया गया है और यह निर्देश दिया गया है कि अपीलकर्ता को अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। (पैरा 23 और 24) (644-जी-एच, 645-ए-सी)

संदर्भित न्यायिक दृष्टांतः-

(1994) 4 एससीसी 138	पैरा 16 को	संदर्भित
(2008) 15 एससीसी 560	पैरा 17 को	संदर्भित

(2008) 8 एससीसी 475 पैरा 17 को संदर्भित

(2008) 13 एससीसी 730 पैरा 18 में संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 5101/2005

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (लखनऊ बेंच) लखनऊ 2003 की रिट याचिका संख्या 1178 (एस/बी) के निर्णय और आदेश दिनांक 01.09.2003 से।

डी.पी. चतुर्वेदी (शीला गोयल के लिए) अपीलार्थी की ओर से ।

अशोक भान, सी.के. शर्मा, ए.के. शर्मा, मधुरिमा मृदुअल, बी.कृष्णप्रसाद उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय डी.के. जैन (जस्टिस) द्वारा सुनाया गयाः

1. यह अपील, विशेष अनुमति देकर, लखनऊ में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 1 सितंबर, 2003 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा अनुकंपा की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की गई थी। रिट को इस आधार पर बर्खास्त कर दिया गया है कि उन्होंने 29 नवंबर, 2001 के रेलवे बोर्ड परिपत्र में उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं किया।

2. अपीलकर्ता के पिता श्री प्रहलाद जी सोनकर, लखनऊ जंक्शन पर पूर्वोत्तर रेलवे में गार्ड मेल/एक्सप्रेस के पद पर तैनात थे। प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात् वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे (एन.ई.आर.), लखनऊ ने अपीलकर्ता के पिता को मेडिकल परीक्षण के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। तदनुसार, अपीलकर्ता के पिता मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए और 6 मार्च, 1998 के प्रमाण पत्र के माध्यम से उन्हें ए2, ए3, बी1 और बी2 श्रेणियों में चिकित्सकीय रूप से अनफिट घोषित कर दिया गया। हालांकि, उन्हें जांच सी1 और सी2 श्रेणियों में फिट पाया गया और उन्हें छह माह बाद दूसरे मेडिकल के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

3. तदनुसार, अपीलकर्ता के पिता फिर से मेडिकल परीक्षण के लिए उपस्थित हुए और 13 जुलाई, 1999 के प्रमाण पत्र के अनुसार, उन्हें अवर्गीकृत कर्मचारी के रूप में चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया। फिर भी, उन्हें श्रेणी बी1 और उससे नीचे में फिट पाया गया। इसके बाद, 9 अगस्त, 1999 को, अपीलकर्ता के पिता स्थायी समिति के सामने पेश हुए, जिसने उन्हें सेवा नियमों के अनुसार कोई वैकल्पिक रोजगार दिए बिना सेवानिवृत्त करने का फैसला किया। अंततः, अपीलकर्ता के पिता को प्रतिवादी क्रमांक 3 अर्थात द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश

दिनांक 30 अगस्त, 1999 द्वारा सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। (मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक), लखनऊ) ने कहा कि:-

"श्री प्रह्लाद जी सोनकर, गार्ड मेल/एक्सप्रेस, लखनऊ जंक्शन पर वेतनमान (5500-9000) में, जिन्हें अवर्गीकृत कर्मचारी घोषित कर स्थायी समिति द्वारा सेवानिवृत्ति की अनुशंसा की गई है, उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त किया जाता है।"

4. इस समय, यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति रेलवे बोर्ड परिपत्र दिनांक 22 सितंबर, 1995 द्वारा शासित होती थी, जिसमें यह प्रावधान था:-

"1. बोर्ड के पत्र क्रमांक ई(एनजी)।।।/78/आरसी-1/1 दिनांक 07.04.1983 और 03.09.1983 के पैरा स 1(4) में निहित निर्देशों के अनुसार, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की अनुमति है जहां रेल्वे कर्मचारी को उसके द्वारा धारण की गई नौकरी के लिए चिकित्सकीय रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता है और उसी कर्मचारी के पास कोई वैकल्पिक नौकरी नहीं होती है, लेकिन इसे कर्मचारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और वह सेवा से सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनता है।

2. सवाल यह है कि क्या चिकित्सीय रूप से वर्गीकृत कर्मचारी के मामले में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है, जो प्रशासन द्वारा उसके लिए वैकल्पिक नौकरी की पहचान करने का इंतजार नहीं करता है, बल्कि बोर्ड के विचाराधीन सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनता है।

3. मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, बोर्ड ने निर्णय लिया है कि बोर्ड के पत्र क्रमांक ई(एनजी)।।।/78/आरसी-1/1 दिनांक 03.09.1983 में आंशिक संशोधन करते हुए चिकित्सकीय रूप से वर्गीकृत कर्मचारी के मामले में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। यदि एक योग्य वार्ड (संरक्षित) नियुक्ति के लिए अनुरोध करता है। उन मामलों में भी विचार किया जा सकता है। जहां संबंधित कर्मचारी प्रशासन द्वारा उसके लिए वैकल्पिक नौकरी की पहचान करने का इंतजार नहीं करता है, बल्कि सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनता है।''

5. यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि 29 अप्रैल, 1999 को रेलवे बोर्ड ने एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के आदेश के आलोक में, 1995, जो कर्मचारी उस पद को धारण करने में असमर्थ हो जाते हैं। जिस पद पर वे

वर्तमान में हैं, लेकिन निम्न चिकित्सा श्रेणी के अनुरूप पदों पर सेवा में बने रहने के लिए पात्र पाए जाते हैं, उन्हें उन पदों पर वैकल्पिक रोजगार की पेशकश की जाएगी जिनके लिए वे उपयुक्त पाए जाते हैं।

6. अपीलकर्ता के पिता ने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष 1 सितंबर, 1999 को एक आवेदन दिया, जिसमें अनुरोध किया गया कि उनके बेटे को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। चूंकि उक्त अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, अपीलकर्ता के पिता ने प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष 30 दिसंबर, 1999 को एक और आवेदन दिया। 18 जनवरी, 2000 को रेलवे बोर्ड ने एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि जब किसी कर्मचारी को चिकित्सकीय अयोग्य/अक्षम घोषित किया जाता है चूँकि वह जो काम कर रहा था उसे करने के लिए चिकित्सीय रूप से अयोग्य है, लेकिन निचली श्रेणी में काम करने के लिए योग्य पाया गया है, ऐसे कर्मचारी के वार्ड को अनुकंपा रोजगार देने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा यदि कर्मचारी अवर्गीकृत होने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है।

7. इसके बाद 29 नवंबर, 2001 को महाप्रबंधक (कार्मिक), गोरखपुर ने एक पत्र जारी कर कहा कि 29 अप्रैल, 1999 के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के मामले में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त हेतु, केवल पूरी तरह से अक्षम कर्मचारियों के बच्चों के

मामलों पर विचार किया जाएगा। उसी के अनुसरण में, प्रतिवादी नंबर 3 ने अपीलकर्ता के पिता को दिनांक 15 फरवरी, 2002 को एक पत्र जारी किया। जिसमें कहा गया कि अनुकंपा के आधार पर उनके बेटे की नियुक्ति के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था।

8. व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, लखनऊ (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") के समक्ष एक मूल आवेदन प्रस्तुत किया।

9. 31 दिसंबर, 2002 के आदेश के तहत, न्यायाधिकरण ने मूल आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया:-

> "मैंने मामले के तथ्यों और पक्षों की ओर से दी गई दलीलों पर विचार किया है, और मेरा विचार है कि ओ.ए. परिपत्र/पत्र दिनांक 29.11.2001, जो कि इस विषय में पूर्व में दिए गए निर्देशों का अधिक्रमण करता है, के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। चूंकि, आवेदक के पिता पूरी तरह से अक्षम नहीं थे और 30.8.99 को सेवानिवृत्त हुए थे, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदक के दावे पर रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 29.11.2001 के निर्देशों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। जिससे वह अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।"

10. फिर भी व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी है कि:-

> "न्यायाधिकरण ने इस आशय का स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता किसी भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था, जिसे रेलवे बोर्ड के नीतिगत निर्णय में परिकल्पित किया जा सकता था, जैसा कि दिनांक 29.11.2001 के परिपत्र में दर्शाया गया था। संतुष्ट नहीं।
>
> मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को उनकी समग्रता में अभिलेख पर ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के लिए कोई उचित आधार नहीं बनाया गया है।"

11. इस बीच, अपीलकर्ता ने 31 दिसंबर, 2002 के अपने पहले के आदेश की समीक्षा के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष एक समीक्षा आवेदन भी प्रस्तुत किया। 5 मार्च 2004 के आदेश के तहत, उक्त आवेदन को

न्यायाधिकरण द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह सीमा से वर्जित था।

12. अतः, वर्तमान अपील पेश की गई।

13. श्री डी.पी. चतुर्वेदी, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए दृढ़तापूर्वक आग्रह किया कि अपीलकर्ता के पिता को उपयुक्त वैकल्पिक नौकरी की पेशकश किए बिना सेवानिवृत्त कर दिया गया, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें श्रेणी बी 1 में चिकित्सकीय रूप से योग्य पाया गया था, उत्तरदाताओं को बाध्य किया गया था। अपीलकर्ता को 7 अप्रैल, 1983 और 3 सितंबर, 1983 के निर्देशों के अनुसार नियुक्त करें, जिन्हें 22 सितंबर, 1995 के परिपत्र में दोहराया गया था।

14. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अशोक भान ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता के पिता ने रेलवे बोर्ड के 18 जनवरी, 2000 के पत्र के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था, लेकिन वह अपने बेटे की नियुक्ति की मांग नहीं कर सकते। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि अपीलकर्ता ने अपनी दलील को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं लाई है कि उसके पिता को सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था।

15. अब, यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अनुकंपा रोजगार केवल मानवीय आधार पर दिया जाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य कर्मचारी के परिवार को अचानक वित्तीय संकट से निपटने के लिए तत्काल राहत प्रदान करना है और इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। केवल वंश के आधार पर नियुक्ति हमारी संवैधानिक योजना के लिए हानिकारक है, और आमतौर पर सार्वजनिक रोजगार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप, आवेदनों के खुले निमंत्रण और तुलनात्मक योग्यता के आधार पर होना चाहिए। नियुक्ति का कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं है। फिर भी, अनुकंपा नियुक्ति की अवधारणा को सामान्य नियम के अपवाद के रूप में मान्यता दी गई है, जो नियोक्ता की नीति के माध्यम से, कुछ अत्यावश्यकताओं में, न्याय के हित में तैयार किया गया है, जो सेवा नियमों के चरित्र का हिस्सा है। ऐसा होने पर, इस बात पर थोड़ा जोर देने की आवश्यकता है कि योजना या नीति, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए बाध्यकारी है। एक अपवाद होने के नाते, योजना को सख्ती से समझा जाना चाहिए और केवल उस उद्देश्य तक ही सीमित होना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहती है। हम इस मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला के संदर्भ में इस निर्णय पर बोझ डालने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। हालाँकि, अनुकंपा के

आधार पर नियुक्ति के दावे की जांच करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों को दोहराने के लिए, हम कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं।

16. उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य ((1994) 4 एससीसी 138) में इस बात पर जोर देते हुए कि अनुकंपा नियुक्ति का दावा अधिकार स्वरूप या तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी से ऊपर के पदों पर नहीं किया जा सकता है, इस न्यायालय ने कहा था कि:-

"अनुकंपा रोजगार देने का एकमात्र उद्देश्य परिवार को अचानक आए संकट से निपटने में सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य ऐसे परिवार के किसी सदस्य को मृतक द्वारा धारित पद के लिए कोई पद देना तो दूर की बात है। इसके अलावा जो कुछ है, वह महज है काम के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु उसके परिवार को आजीविका के ऐसे स्रोत का अधिकार नहीं देती है। सरकार या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी होती है, और यह केवल तभी किया जाता है जब वह संतुष्ट हो, लेकिन इसके लिए रोजगार का प्रावधान, परिवार इस संकट को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा कि परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी की पेशकश की जाएगी। श्रेणी तृतीय और चतुर्थ में पद गैर-मैनुअल और मैनुअल श्रेणियों में सबसे कम पद हैं और इसलिए वे केवल अनुकंपा के आधार पर ही नौकरी दी जा सकती है, जिसका उद्देश्य परिवार को वित्तीय अभाव से राहत दिलाना और आपातकाल से उबरने में मदद करना है।

नियम को अपवाद बनाकर ऐसे सबसे निचले पदों पर रोजगार का प्रावधान उचित और वैध है क्योंकि यह भेदभावपूर्ण नहीं है. ऐसे पदों पर मृत कर्मचारी के आश्रित को दिए गए अनुकूल व्यवहार का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, अर्थात गरीबी के खिलाफ राहत, के साथ तर्कसंगत संबंध है। इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा कोई अन्य पद दिए जाने की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में यह याद रखना चाहिए कि मृतक के निराश्रित परिवार के मुकाबले लाखों अन्य परिवार हैं जो समान रूप से, यदि अधिक नहीं तो निराश्रित हैं। मृत कर्मचारी के परिवार के पक्ष में बनाए गए नियम का अपवाद उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और वैध अपेक्षाओं, और पूर्ववर्ती रोजगार से उत्पन्न परिवार की स्थिति और मामलों में बदलाव को ध्यान में रखते हुए है, जो अचानक उलट हो जाता है।''

17. इसी प्रकार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम में। मधुसूदन दास और अन्य (2008) 15 एससीसी 560), इस न्यायालय ने देखा है कि:-

''इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में निर्णयों में माना है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। इसे नियमों में प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए निर्धारित मानदंड, जैसे कि एकमात्र रोटी कमाने वाले की मृत्यु। परिवार की स्थापना की

जानी चाहिए। इसका उद्देश्य न्यूनतम राहत प्रदान करना है। जब इस तरह के विवाद उठाए जाते हैं, तो ऐसी योजना बनाने के पीछे समानता के संवैधानिक दर्शन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में कहा गया है कि रिक्त हुए पदों पर नियुक्ति के लिए सभी पात्र उम्मीदवारों पर विचार किया जाना चाहिए। मृत कर्मचारी के आश्रित को दी जाने वाली अनुकंपा आधार पर नियुक्ति उक्त नियम का अपवाद है। यह एक रियायत है, अधिकार नहीं" (यह भी देखें: महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम अंजू जैन) (2008)8 एससीसी 475।

18. वी. शिवमूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य ((2004) 13 एससीसी 730) में इस न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि यद्यपि सार्वजनिक सेवा में नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को ध्यान में रखते हुए आवेदनों के खुले निमंत्रण और तुलनात्मक योग्यता के आधार पर सख्ती से की जानी चाहिए, फिर भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां सामान्य अपवाद के रूप में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त हैं। कुछ आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए न्याय के हित में बनाए गए नियम ने सामान्य नियम के अपवाद के रूप में निम्नलिखित दो अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त आकस्मिकताओं पर प्रकाश डाला:

"(1) सेवा के दौरान कमाने वाले की मृत्यु के कारण परिवार में आए अचानक संकट से निपटने के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति।

(2) परिवार में कमाने वाले की चिकित्सा अमान्य होने के कारण आए संकट से निपटने के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति।"

19. इस प्रकार, अनुकंपा के आधार पर रोजगार के दावे पर विचार करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना होगा:-

(1) सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों या विनियमों के अभाव में अनुकंपा रोजगार नहीं दिया जा सकता है। अनुरोध पर सख्ती से शासी योजना के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, और योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति करने के लिए किसी भी प्राधिकारी के पास कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ा गया है।

(2) अनुकंपा रोजगार के लिए आवेदन को बिना किसी देरी के प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उचित समय के भीतर विचार किया जाना चाहिए।

(3) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सेवा के दौरान कमाने वाले की मृत्यु या चिकित्सीय रूप से अक्षम होने के कारण परिवार में होने वाले अचानक संकट को पूरा करने के लिए है। इसलिए, मृत/अक्षम कर्मचारी की मृत्यु

या अक्षमता के समय उसके परिवार की वित्तीय स्थिति को नजर अंदाज उदारता के आधार पर अनुकंपा रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता है।

(4) अनुकंपा रोजगार केवल मृतक/अक्षम कर्मचारी के आश्रितों में से एक को ही स्वीकार्य है, अर्थात। माता-पिता, पति/पत्नी, पुत्र या पुत्री और सभी रिश्तेदारों को नहीं, और ऐसी नियुक्तियाँ केवल सबसे निचली श्रेणी यानी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होनी चाहिए।

20. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले इन व्यापक दिशानिर्देशों की कसौटी पर जांचे जाने पर, हमारी राय है कि अपीलकर्ता ने ऐसी नियुक्ति के लिए एक मामला बनाया है। यह स्पष्ट है कि 29 नवंबर, 2001 के परिपत्र के अनुसार केवल वे कर्मचारी, जो 29 अप्रैल, 1999 के बाद कोई भी कार्य करने में पूरी तरह से अक्षम हो गए हैं। वे अपने बच्चों के लिए अनुकंपा रोजगार पाने के हकदार थे। मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता के पिता 30 अगस्त, 1999 को यानी 29 अप्रैल, 1999 के बाद सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्हें 29 अप्रैल, 1999 के परिपत्र के अनुसार वैकल्पिक रोजगार की पेशकश नहीं की गई।

21. दिनांक 29 नवंबर, 2001 के परिपत्र/पत्र, जिस पर अपीलकर्ता के दावे को खारिज करते समय भरोसा किया गया था, को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। जाहिर है, यह अनुकंपा रोजगार के लाभ

को केवल उन अक्षम कर्मचारियों तक सीमित करना चाहता है जो 29 अप्रैल, 1999 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, जैसा कि उन कर्मचारियों के मामले में था जो निचली श्रेणी में सेवाएं देने के लिए उपयुक्त पाए गए थे, परिपत्र दिनांक 29 अप्रैल, 1999 लागू होगा और रेलवे ऐसे कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार की पेशकश करने के लिए बाध्य था। इससे पता चलता है कि 29 अप्रैल 1999 के बाद जिन कर्मचारियों ने वैकल्पिक रोजगार स्वीकार नहीं किया और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना। उनके बच्चों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन का लाभ नहीं दिया जा सका।

22. वर्तमान मामले में, उत्तरदाताओं ने यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी है कि अपीलकर्ता के पिता को 29 अप्रैल, 1999 के परिपत्र के अनुसार किसी भी वैकल्पिक रोजगार की पेशकश की गई थी। इसके विपरीत, ऐसा प्रतीत होता है कि स्थायी समिति ने उनकी सेवानिवृत्ति की सिफारिश की थी। अपीलकर्ता के पिता को 29 अप्रैल 1999 के परिपत्र का लाभ देने से इनकार करने के बाद, उत्तरदाता यह दावा नहीं कर सकते कि 29 नवंबर, 2001 का परिपत्र अपीलकर्ता के पिता पर लागू था, जो उन्हें अपने बेटे के लिए अनुकंपा के आधार पर रोजगार मांगने से वंचित करता है क्योंकि वह पूरी तरह से अक्षम नहीं थे और उन्होंने मांग की थी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति. 30 अगस्त, 1999 के सेवानिवृत्ति आदेश से

यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के पिता को स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था।

23. इस तथ्य के प्रकाश में कि 29 नवंबर, 2001 का परिपत्र अपीलकर्ता के पिता के मामले में लागू नहीं था, क्योंकि 29 अप्रैल, 1999 के परिपत्र का लाभ उन्हें नहीं दिया गया था, और उन्हें सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उनका मानना है कि 22 सितंबर, 1995 का पिछला परिपत्र वर्तमान मामले में लागू है। नतीजतन, अपीलकर्ता अनुकंपा के आधार पर रोजगार का हकदार होगा क्योंकि उक्त परिपत्र उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए अनुकंपा रोजगार पर विचार करता है जिन्हें चिकित्सकीय रूप से अवर्गीकृत किया गया है, और वैकल्पिक उपयुक्त नौकरी की पेशकश किए बिना सेवानिवृत्त हो गए हैं। हम उत्तरदाताओं की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि श्रेणी से बाहर किए जाने पर अपीलकर्ता के पिता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था।

24. उपरोक्त चर्चा के आलोक में अपील स्वीकार की जाती है। इस आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया गया है और यह निर्देश दिया गया है कि अपीलकर्ता को इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया जाएगा, बशर्ते कि वह 1 सितंबर, 1999 को लागू अन्य पात्रता शर्तों का अनुपालन करता हो। हालाँकि, सभी

इरादों और उद्देश्यों के लिए, उसे वास्तविक रूप से शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

25. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीरज कुमार (आरजेएस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।